



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230562
CG-DL-E-21102021-230562

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3994]
No. 3994]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ ASVINA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4344(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए एतद्वारा मध्य स्थनियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) और (4) में यथाविनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलेक्टर	• छतरपुर	मध्य प्रदेश
2	कलेक्टर	• निवाड़ी	मध्य प्रदेश

3	कलैक्टर	• पन्ना	मध्य प्रदेश
4	कलैक्टर	• सतना	मध्य प्रदेश
5	कलैक्टर	• रीवा	मध्य प्रदेश

[फा. सं. CHHP/24010/2/App-Arb-LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th October, 2021

S.O. 4344(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

Table

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Collector	• CHHATARPUR	MADHYA PRADESH
2	Collector	• NIWARI	MADHYA PRADESH
3	Collector	• PANNA	MADHYA PRADESH
4	Collector	• SATNA	MADHYA PRADESH
5	Collector	• REWA	MADHYA PRADESH

[F. No. CHHP/24010/2/App-Arb-LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director